न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2018/00202 दायरा दिनांक : 28.06.2018

उनवान

1. प्रभू पुत्र काल्या, जाति सहरिया, निवासी फल्दी हाल पेनावदा मृतक :–
1/1. भंवर लाल पुत्र प्रभू
1/2. रामप्यारी बेवा प्रभू
1/3. राजाराम पुत्र प्रभू (मृतक)
1/3/1. हरिकेश पुत्र राजाराम
1/3/2. गुड्डी पत्नी राजाराम
अकवाम सहरिया, निवासीगण पेनावदा, तहसील किशनगंज, जिला बारां
.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री राधावल्लभ नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री संदीप सक्सैना अभिभाषक पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 02.09.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 129/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.01.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट्स ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92ए, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम रामपुरिया में आराजी खसरा नं. 135/2 रकबा 13 बीघा 07 बिस्वा व खसरा नं. 136 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 16 बीघा तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज.) में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19.01.2018 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के विपरीत होने से तथा संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विवादित आराजी करीब 60 वर्ष पूर्व वादी/अपीलांट प्रभू के पिता को कस्टोडियन विभाग से प्राप्त हुई थी। अपीलांट/वादी ने 2021.69 रूपये तहसील किशनगंज में चालान से जमा करवाये थे इस प्रकार उक्त आराजी पर 50 वर्षों से भी अधिक समय से वादी/अपीलांट बतौर खातेदार कृषक लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी

2/9/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

को हिई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। उपरोक्त आराजी पर वादी/अपीलांट को हक मुखालफाना भी प्राप्त हो चुका है। उक्त आराजी के पेटे अपीलांट द्वारा 2021.69 रूपये तहसील किशनगंज में चालान द्वारा जमा करवाने से भी वादी/अपीलांट को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं लेकिन उक्त आराजी में अपीलांट को राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार कृषक दर्ज नहीं किया गया इसलिए अपीलांट/वादी उक्त आराजी को स्वयं के नाम खातेदारी अधिकारों की घोषित करवाकर राजस्व रेकार्ड में अपना नाम खातेदार के रूप में अंकित करवाने का अधिकारी है। विचारण न्यायालय ने यह भी गौर नहीं किया कि प्रतिवादी द्वारा जवाबदावे में पैरोकार सरकार की ओर से इकबालिया जवाब इस आशय का पेश हुआ कि प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं हो रहा है, जवाब दिया जाना उचित नहीं है फिर भी विचारण न्यायालय ने अपीलांट का वाद खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी गौर नहीं किया कि अपीलांट/वादी ने जमाबंदी में अंकित 16 बीघा भूमि पर ही खातेदारी की मांग की है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने चालान में अंकित भूमि 29 बीघा 5 बिस्वा का मिलान नहीं होने से अपीलांट का वाद खारिज करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी गौर नहीं किया कि अपीलांट/वादी प्रभू के पिता का नाम जमाबंदी में काल्या सहरिया साकिन फल्दी अंकित है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/ वादी का वाद खारिज करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना समुचित जांच किये अपीलांट के वाद को खारिज करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19.01.2018 निरस्त की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 31.05.2018 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी कस्टोडियन विभाग की है। अपीलांट वादी प्रभू के पिता का काल्या का नाम जमाबंदी में दर्ज है। विवादित आराजी की राशि 2021.69 रूपये अपीलांट द्वारा तहसील किशनगंज में चालान द्वारा जमा करवायी गयी है, हमें वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई लिखित बहस में अंकित किया कि वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92ए, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि ग्राम रामपुरिया पटवार मण्डल बांसथूनी की भूमि खसरा नं. 135/2 रकबा 13.07 बीघा, खसरा नं. 136 रकबा 2.13 बीघा कुल रकबा 16 बीघा 60 वर्ष पूर्व अपीलार्थी के पिता को कस्टोडियन विभाग से प्राप्त हुई थी। इस प्रकार उक्त आराजी पर 60 वर्ष से भी अधिक

2-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

समय से वादी बतौर खातेदार कृषक काबिज काश्त है तथा वादी को बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी प्राप्त हो चुके हैं। वादी ने राशि 2021.69 रूपये जर्ये चालान से तहसील किशनगंज में जमा करायी थी लेकिन उक्त आराजी में वादी को राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार कृषक नाम अंकित नहीं हुआ है। इसलिए वादी उक्त आराजी में अपने नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने का अधिकारी है।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों और दस्तावेजों का अध्ययन और अवलोकन करते हुए यह निर्णय पारित किया कि आराजी कस्टोडियन की है जिसमें जमाबंदी में प्रभू के पिता काल्या का नाम अंकित है। प्रभू ने जरिये चालान राशि 2021.69 रूपये जमा कराये तब से ही वादग्रस्त आराजी अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है, आज भी हमारे कब्जे काश्त में है। फर्द दस्तावेज के साथ चालान नं. निल मिला दिनांक अपठित से राशि 2021.69 रूपये जमा राजकोष होना बताया परन्तु चालान में मिसल 3/1 व 52 दिनांक 01.04.2005 रकबा 29.05 बीघा अंकित है। वादी के वाद में अंकित भूमि 16 बीघा पर खातेदारी की मांग की है। चालान में अंकित भूमि 29.05 बीघा है। जबकि वाद पत्र में वर्णित भूमि 16 बीघा है। अतः दोनों भूमियों में मिलान नहीं हो रहा है। वादी ने किस भूमि की राशि किस आदेश से जमा की यह साबित करने में असफल रहा है। अतः वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज कर दिया गया।

पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी संवत 2067–2070 के अनुसार ग्राम रामपुरिया, तहसील किशनगंज, जिला बारां के खाता सं. 78 रहीमदाद खां पुत्र फतहदाद खां मुसलमान सा0 मन्दरगढ़ रियासत पटियाला हाल आबाद पाकिस्तान कस्टोडियन काल्या सहरिया सा0 फल्दी मुस्तकिन 14 साल अधिकृत विभाग कस्टोडियन दर्ज है। पत्रावली में सलंग्न चालान नम्बर निल दिनांक अपठित मिसल नं. 3/1 व 52 दिनांक 01.04.2005 में राशि 2021.69 रकबा 29.05 बीघा जमा राजकोष होना बताया है। जबकि दावा 16 बीघा भूमि का किया है। अतः भूमि का मिलान नहीं होता। अपीलार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि उसने किस आदेश से किस भूमि के लिये रकम जमा करवायी है।

विशेष कथन :– अपीलार्थी ने अपने दावे में लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने की मांग की है लेकिन कब्जे का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। राजकोष में जमा करायी गयी राशि 2021.69 में अंकित रकबा और दावे में दर्ज रकबे में भी भिन्नता है। जमा करायी गयी राशि किस आदेश से किस भूमि के लिये करायी है, यह भी अंकित नहीं है। अतः पर्याप्त दस्तावेजों व साक्ष्यों के अभाव में अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का फैसला बहाल रखा जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट वादी द्वारा 60 वर्षों से

7/9/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधिक समय से कब्जे काश्त के आधार पर तथा वादी द्वारा 2021.69 रूपये चालान द्वारा जमा करने के आधार पर खातेदारी अधिकार का अनुतोष चाहा गया है। वादी अपीलांट द्वारा पेश चालान में 29.05 बीघा रकबा अंकित है जबकि खातेदारी अधिकार 16 बीघा भूमि पर चाहे गये हैं। वादी द्वारा यह राशि किस आदेश एवं कौनसे खसरा नम्बरान के लिये जमा करायी गयी है। इसका कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। विवादित आराजी किस आदेश से कस्टोडियन दर्ज हुई इसका भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। निरन्तर कब्जा काश्त का कोई प्रमाण भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

उक्तानुसार वादी अपने वाद को सिद्ध करने में असफल रहने से अधीनस्थ न्यायालय का फैसला विधि सम्मत एवं उचित प्रकट होता है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.01.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. प्रभू पुत्र काल्या, जाति सहरिया, निवासी फल्दी हाल पेनावदा मृतक :–
1/1. भंवर लाल पुत्र प्रभू
1/2. रामप्यारी बेवा प्रभू
1/3. राजाराम पुत्र प्रभू (मृतक)
1/3/1. हरिकेश पुत्र राजाराम
1/3/2. गुड्डी पत्नी राजाराम,
अकवाम सहरिया, निवासीगण पेनावदा, तहसील किश्नगंज, जिला बारां

अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां

.....रेस्पोडेंट्स

अपील नं 2018/00202
मु.द.नं0 129/2014

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी ,किशनगंज**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **19.01.2018**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **07 माह 08** सन् **2024**

श्री **राधावल्लभ नागर** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **संदीप सक्सैना** अभिभाषक पैरोकार सरकार

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.01.2018 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **02 माह 09 सन् 2024** को जारी किया गया ।

2-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)